परीक्षा नीति

प्रस्तावना

भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में इस दस्तावेज में निहित नीति निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य विभिन्न विषयों में अंको के वितरण ,विशेष एवं पूरक परीक्षाएं आयोजित करने तथा परीक्षाओं के समय प्रशिक्षु अधिकारियों की छुट्टी के संबंध में निष्पक्षता, पारदर्शिता और एकरूपता प्राप्त करना है।

1. पाठ्यक्रम जिनमें परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक पाठ्यक्रम में परीक्षाओं के प्रकार –

पाठ्यक्रम	**परीक्षा का रूप**
समूह **'क'** आधारिक पाठ्यक्रम	लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार (आकस्मिक परीक्षा) व्यावहारिक मौखिक
समूह **'क'** इंडक्शन पाठ्यक्रम	लिखित व्यावहारिक मौखिक
समूह **'ख'** आधारिक पाठ्यक्रम	लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार तथा प्रोजेक्ट प्रस्तुतीकरण
राजभाषा अधिकारियों के लिए समूह **'ख'** आधारिक पाठ्यक्रम	लेखा, कार्मिक और भंडार में लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार तथा राजभाषा में वर्णनात्मक प्रकार इसके बाद प्रोजेक्ट प्रस्तुतीकरण
समूह **'ख'** इंडक्शन पाठ्यक्रम	प्रोजेक्ट प्रस्तुतीकरण
प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम	प्रोजेक्ट प्रस्तुतीकरण
उन्नत प्रबंधन पाठ्यक्रम	प्रकरण आधारित प्रस्तुतीकरण
चिकित्सा इंडक्शन पाठ्यक्रम	लिखित मौखिक

2. न्यूनतम उत्तीर्ण अंकः-

ए.एफ.पी., ए.आई.पी., एम.डी.पी., ए.एम.पी. और एम.आई.पी. के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60 प्रतिशत हैं । विभिन्न विषयों का मूल्यांकन उनकी लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा एवं व्यावहारिक परीक्षा जो भी इनकी एक अथवा अधिक निर्धारित हो, के अंकों को जोड़कर किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त जहाँ प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण तथा अथवा प्रकरण आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण तैयार किए जाने हैं ,वहाँ प्रशिक्षु अधिकारी को इनमें अलग से 60 प्रतिशत अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे ।

समूह **ख** आधारिक पाठ्यक्रम, राजभाषा के लिए समूह **ख** आधारिक पाठ्यक्रम और समूह **'ख'** इंडक्शन पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक विषय एवं प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत होंगे ।

3. पूरक परीक्षाएं -

3.1 प्रशिक्षु अधिकारी किसी कारणवश: एक अथवा अधिक विषयों में मुख्य परीक्षा नहीं दे पाता है तो उस विषय में शून्य अंक दिया जाएगा। विशिष्ट विषय में पूरक परीक्षा उन अधिकारियों के लिए आयोजित की जाती है जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हों अथवा जो छुट्टी इत्यादि के कारण मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हों । यद्यपि समूह **'क'** परिवीक्षार्थियों के लिए, किसी प्रकरण में परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंक बैच के अंदर उनकी आपसी-वरिष्ठता के निर्धारण में योगदान करते हैं , मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक केवल बैच में आपसी-वरिष्ठता के निर्धारण के लिए माने जाएंगे और पूरक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक इस प्रयोजन के लिए माने नहीं जाएंगे ।

3.2 पूरक परीक्षा में परिवीक्षार्थी/ प्रशिक्षु अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए अंक संबंधित संकाय सदस्य द्वारा अलग से, प्रथम परीक्षा की मूल अंक-तालिका पर नहीं बल्कि और एक अलग अंक-तालिका पर परीक्षा प्रभारी को सम्प्रेषित किए जाएंगे ।

3.3 पूरक परीक्षा सामान्यतः पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए । परिवीक्षार्थी/ प्रशिक्षु अधिकारी को सामान्यतः पूरक परीक्षा सहित सभी निर्धारित परीक्षाएं दिए बिना भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । यदि आवश्यक हो तो पूरक परीक्षा के आयोजन , मूल्यांकन एवं परिणामों की घोषणा के लिए पाठ्यक्रम निदेशक, पाठ्यक्रम की अंतिम तारीख के बाद उस अधिकारी को रोक सकता है।

3.4 किसी एक अथवा अधिक विषयों में भी पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल होने पर, प्रासंगिक सेवा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। परिवीक्षार्थी /प्रशिक्षु अधिकारी जिस पेपर में अनुत्तीर्ण हुआ है, उस हेतु पाठ्यक्रम निदेशक एवं संकाय द्वारा मूल्यांकन कर अधिकारी के समग्र निष्पादन को देखते हुए, महानिदेशक के अनुमोदन से साथ इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा ।

4. विशेष परीक्षाएं –

4.1 उपरोक्त पैरा 3.1 के होते हुए भी, केवल समूह **क** परिवीक्षार्थियों के लिए उस प्रकरण में जिसमें परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंक बैच के अंदर उनकी आपसी वरिष्ठता के निर्धारण का योगदान करते हैं , एक विशेष परीक्षा की अनुमति दी जा सकती है,यदि मुख्य परीक्षा में उनकी अनुपस्थिति निम्न कारणों से थी-

I. अस्वस्थता- जिसके लिए समर्थित तौर पर रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी प्रमाणपत्र अथवा

II. अन्य कोई कारण जो परिवीक्षार्थी के नियंत्रण से बाहर है, बशर्ते कि महानिदेशक, पाठ्यक्रम निदेशक/ समन्वयक पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश पर विचार करने के बाद , जैसा भी प्रकरण हो, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुख्य परीक्षा में परिवीक्षार्थी की अनुपस्थित की परिस्थितियाँ हुई वे वास्तव में परिवीक्षार्थी के नियंत्रण से बाहर थी ।

4.2 विशेष परीक्षा यदि आयोजित की जाती है तो मुख्य परीक्षा के एवज में होगी और विशेष परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए अंक समझे जाएंगे ।

4.3 उपरोक्त पैरा 4.1 के होते हुए भी जहाँ कही भी निर्दिष्ट हो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के प्रकरण में कोई विशेष परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यदि उपरोक्त पैरा 4.1 में दर्शित आधार पर परिवीक्षार्थी से वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा छूट जाती है तो, लिखित परीक्षा (निर्दिष्ट अधिकतम 40 अंकों में से) में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को छूट गई वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए आवरित करने हेतु अधिकतम 50 अंकों से बहिर्वेशन किया जाएगा ।

5. परिवीक्षार्थी अधिकारी द्वारा पाठ्यक्रम को पूर्ण न करनाः-

यदि एक परिवीक्षार्थी अधिकारी पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाता है और उसे बीच में ही छोड़ देता है तो फिर से उसे दोहराना होगा । इस स्थिति में पाठ्यक्रम में प्राप्त किए गए अंकों को जिसे अंततः पूर्ण करता है तब ध्यान में रखा जाएगा ।

6. समूह क आधारिक पाठ्यक्रमः-

6.1 प्रत्येक 3 विषयों के चार समूहों में पैरा 6.2 में दिए गए 1 से 12 विभाजित विषयों पर लिखित परीक्षा आयोजित होगी । तीन विषयों के प्रत्येक समूह के लिए लिखित परीक्षा हेतु समय सीमा 90 मिनट की रहेगी । प्रत्येक समूह में शामिल विषयों की सूचना प्रत्येक परीक्षा के एक सप्ताह पूर्व प्रशिक्षु अधिकारियों को दे दी जाएगी । वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए समय सीमा, जहाँ कहीं भी निर्दिष्ट हो, 10 से 15 मिनटों की रहेगी ।

6.2 विभिन्न विषयों में प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं के लिए अंकों का आबंटन निम्न तालिका में दर्शाए अनुसार होगा-

क्र. सं.	**विषय**	**लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम अंक**	**वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए अधिकतम अंक**	**मौखिक परीक्षा अथवा व्यावहारिक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक**	**कुल अंक**
1	कार्मिक	40	10	0	50
2	भंडार	40	10	0	50
3	लेखा	40	10	0	50
4	सिविल इंजीनियरी	40	10	0	50
5	यांत्रिक इंजीनियरी	40	10	0	50
6	बिजली इंजीनियरी	40	10	0	50
7	परिचालन	40	10	0	50
8	सिगनल एवं दूरसंचार	40	10	0	50

9	वाणिज्य	40	10	0	50
10	विधि	50	0	0	50
11	राजभाषा	50	0	0	50
12	चिकित्सा	50	0	0	50
13	संरक्षा	0	10	40	50
	कुल	**510**	**100**	**40**	**650**

6.3 उपरोक्त दर्शित परीक्षाओं के अलावा,पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा पैरा 8 में दिए गए विवरणानुसार

अधिकतम 50 अंकों में से मूल्यांकन किया जाएगा ।

6.4 इस प्रकार समूह **'क'** आधारिक पाठ्यक्रम के लिए कुल अधिकतम अंक 700 होंगे ।

7. समूह 'क' इंडक्शन पाठ्यक्रमः-

समूह **'क'** इंडक्शन पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित 30 मिनट के साथ एक घंटे की केवल लेखा और कार्मिक की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त संरक्षा में व्यावहारिक तथा मौखिक परीक्षा भी आयोजित होगी , जो मॉडल रूम में आयोजित होगी । प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक अर्थात् कार्मिक, लेखा और संरक्षा में 50 होंगे, तीनों विषयों को जोड़ते हुए 150 होंगे । इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा 50 अंकों में एक मूल्यांकन होगा । इस प्रकार समूह **'क'** इंडक्शन पाठ्यक्रम के लिए कुल अधिकतम अंक 200 होंगे ।

8. समूह 'क' आधारिक पाठ्यक्रम और समूह 'क' इंडक्शन पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम निदेशक का मूल्यांकनः –

8.1 इस मूल्यांकन के लिए अंकों का ब्रेकअप नीचे दिए अनुसार होगा-

गतिविधि	**अधिकतम अंक**	**द्वारा दिए जाएंगे**
अतिरिक्त पाठेयतर गतिविधि वाद-विवाद, पुस्तक समीक्षा, प्रश्नोत्तरी	10	पाठ्यक्रम निदेशक
कक्षा उपस्थिति	10	पाठ्यक्रम निदेशक
सांस्कृतिक	05	सांस्कृतिक सचिव
खेलकूद *	05	खेलकूद सचिव
पी टी *	05	पाठ्यक्रम निदेशक
पाठ्यक्रम निदेशक का सामान्य मूल्यांकन	05	पाठ्यक्रम निदेशक
महानिदेशक का मूल्यांकन	10	महानिदेशक
कुल	**50**	

*समूह **'क'** इंडक्शन पाठ्यक्रम के लिए पी टी नहीं है और खेलकूद के अधिकतम अंक 10 होंगे।

8.2 अतिरिक्त पाठ्येत्तर गतिविधियाँ और खेलकूद का मूल्यांकन इन गतिविधियों में उपस्थिति,प्रतिभागिता का स्तर एवं निष्पादन को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

8.3 कक्षा उपस्थिति और पी टी के लिए, पूर्ण उपस्थिति वाले अधिकारियों को 100 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे । स्वीकृत छुट्टी को छोड़कर किसी कारणवशः कक्षा से प्रत्येक दिवस के लिए अथवा किसी भाग के लिए 0.5 अंक की कटौती की जाएगी । पी टी में भाग न लेने पर प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति पर 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी ।

9. समूह ख आधारिक पाठ्यक्रमः-

9.1 कार्मिक, लेखा और भंडार में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी । सभी तीन विषयों को मिलाकर एक घंटा की अवधि का एक पेपर होगा । प्रत्येक विषय के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 50 होंगे ।
9.2 उपरोक्त के अलावा, प्रोजेक्ट प्रस्तुतीकरण के 50 अंक और पाठ्यक्रम निदेशक के मूल्यांकन के 50 अंक होंगे । इस प्रकार कुल अधिकतम अंक 250 होंगे ।

10. राजभाषा अधिकारियों के लिए समूह ख आधारिक पाठ्यक्रमः-
राजभाषा अधिकारियों के लिए भी समूह ख आधारिक पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त पैरा 9 लागू रहेगा । हॉलांकि उपरोक्त पैरा 9 में जो दिया गया है, उसके अलावा, अधिकतम अंक 50 की और 40 मिनट के अनुमत समय के साथ राजभाषा में लिखित परीक्षा भी होगी । इस प्रकार कुल अधिकतम अंक 300 होंगे ।

11. समूह ख इंडक्शन पाठ्यक्रम, प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम, उन्नत प्रबंधन पाठ्यक्रमः-

नीचे दिए गए अंकों के वितरण के साथ प्रोजेक्ट प्रस्तुतीकरण तथा पाठ्यक्रम निदेशक का मूल्यांकन होगा -

प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण	पाठ्यक्रम निदेशक का मूल्यांकन	कुल
100	50	150

12. चिकित्सा इंडक्शन पाठ्यक्रमः-
नीचे दिए गए अंकों के वितरण के साथ लिखित परीक्षा ,मौखिक परीक्षा ,तथा पाठ्यक्रम निदेशक का मूल्यांकन होगा । (संदर्भ-रेलवे बोर्ड का दि.02-08-10 का पत्र सं.2010/एच-1/18/5)

लिखित परीक्षा	**मौखिक परीक्षा**	**पाठ्यक्रम निदेशक का मूल्यांकन**	**कुल**
50	25	25	100

13. प्रमाणपत्र जारी करनाः-

13.1 भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी द्वारा आयोजित किए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों में ऐसे प्रशिक्षु अधिकारी जो पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं ,सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं उनको प्रमाण -पत्र जारी किए जाएंगे ।

13.2 प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम, उन्नत प्रबंधन पाठ्यक्रम और रणनीति प्रबंधन पाठ्यक्रम के प्रकरण में, प्रतिभागिता का प्रमाणपत्र ,पाठ्यक्रम निदेशक एवं महानिदेशक से हस्ताक्षरित होगा । अन्य सभी पाठ्यक्रम के लिए, प्रतिभागिता / सफलतापूर्वक पूर्ण का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम निदेशक / समन्वयक पाठ्यक्रम निदेशक तथा उप महानिदेशक से हस्ताक्षरित होगा ।

13.3 समूह क आधारिक पाठ्यक्रम और समूह क इंडक्शन पाठ्यक्रम के लिए, सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण -पत्र परिशिष्ट-। के अनुसार परिवीक्षार्थियों/ प्रशिक्षु अधिकारियों को जारी किया जाएगा । अन्य सभी पाठ्यक्रमों में, प्रतिभागिता का प्रमाणपत्र, परिशिष्ट-।। के अनुसार प्रशिक्षु अधिकारियों को जारी किया जाएगा ।

14. परीक्षाओं की अधिसूचना एवं परिणामों की घोषणा –

14.1 समय सारिणी अधिकारी, उन विषयों में जिनकी कक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं , के पश्चात किसी विषय / विषयों के समूह में शीघ्र ही परीक्षा के बारे में अधिसूचित करेगा । परिणाम सामान्यतः परीक्षा के 2 दिनों के अंदर परीक्षा प्रभारी को सूचित कर दिया जाना चाहिए ।

14.2 समूह क आधारिक पाठ्यक्रम और समूह क इंडक्शन पाठ्यक्रम के परिणाम परीक्षा प्रभारी द्वारा जैसा भी प्रकरण हो, संबंधित केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण संस्थानों/ भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी में केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण प्रभारियों को सूचित किया जाएगा।

14.3 उपरोक्त पैरा 13.2 के होते हुए भी, पाठ्यक्रम निदेशक/समन्वयक पाठ्यक्रम निदेशक, समूह क आधारिक पाठ्यक्रम और समूह क इंडक्शन पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर, पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले परिवीक्षार्थियों की एक सूची जारी करेंगे । इस सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके सरकारी पत्र के कवर में रखकर एन.पी.आफिस को , भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी में सभी संबंधित केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण संस्थानों के प्रभारियों को अन्य संबंधित केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण प्रभारियों को भेजा जाएगा । भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी तथा अन्य केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जैसा भी प्रकरण हो, अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने का यह आधार होगा ।यदि पूरक परीक्षा/विशेष परीक्षा आदि में देरी के होने के कारण कुछ परिवीक्षार्थियों को इस सूची में शामिल नहीं किया जाता है , तो उनके उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र , उनके द्वारा सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद पृथक रूप से जारी किए जाएंगे । जब ऐसा कोई प्रमाण-पत्र अलग से जारी किया जाता है तो, इसे उपरोक्त दर्शितनुसार सभी संबंधितों को परिपत्रित किया जाएगा ।

15. जिन परिवीक्षार्थियों का प्रशिक्षण भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी में केन्द्रीयकृत है, उन भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय रेल कार्मिक सेवा और भारतीय रेल भंडार सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए अन्य परीक्षा-

15.1 पूरक परीक्षाओं तथा विशेष परीक्षाओं के संबंध में पैरा-3 और 4,सभी संस्थानों/विभागों/फेज-।/फेज-।।/तैनाती परीक्षाओं के लिए भी लागू होंगे ।

15.2 भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी में केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण लेने वाले परिवीक्षार्थी अधिकारीगण, जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों , किंतु मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हों , उन्हें पूरक मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा ।

15.3 भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय रेल कार्मिक सेवा और भारतीय रेल भंडार सेवा के ऐसे परिवीक्षार्थी जिनका परिवीक्षा प्रशिक्षण, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी में केन्द्रीयकृत है, उनके लिए परीक्षा का पैटर्न समूह क आधारिक पाठ्यक्रम और समूह क इंडक्शन के अलावा जहाँ तक इससे संबंधित है नीचे दिए अनुसार होगा –

भारतीय रेल लेखा सेवा परिवीक्षार्थी				
क्र.सं.	**परीक्षा**	**अधिकतम अंक**	**उत्तीर्ण अंक**	**टिप्पणी**
1.	फेज–1 (यातायात लेखा)	100	60	-------
2.	फेज–।। (वर्कशाप और भंडार लेखा)	100	60	परीक्षा में 20 अंकों का शोध निबंध / प्रस्तुतीकरण तथा 80 अंकों की लिखित परीक्षा शामिल है ।
3.	भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी में विभागीय परीक्षा– जिसमें चार विषय शामिल होंगे			अंतिम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु पृथक–पृथक विषय में न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत और पूर्णयोग में 50 प्रतिशत होंगे । उन पृथक विषयों में पुनःपरीक्षा की छूट होगी , जिसमें परिवीक्षार्थियों ने 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। (रेलवे बोर्ड का दि.21.11.96 का पत्र सं.ई(टीआरजी)92(20)/2 आईआरएएस)
	1.यातायात लेखा	50	20	
	2.वर्कशाप और भंडार लेखा	50	20	
	3.सामान्य व्यय	50	20	
	4.बुक्स और बजट	50	20	
	कुल	200		
4.	पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा मूल्यांकन			
	1.फील्ड प्रशिक्षण डायरी	70		
	2.प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण	70		
	3.फील्ड से फीडबैक	70		
	4.मौखिक परीक्षा	70		
	5. सामान्य मूल्यांकन	70		

	कुल	350		

भारतीय रेल कार्मिक सेवा परिवीक्षार्थी

क्र.सं.	परीक्षा	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण अंक
1.	फेज-।	200	120
2.	फेज-।।	200	120
3.	तैनाती परीक्षा		
	।. लिखित	150	120
	।।. मौखिक परीक्षा	50	
4.	**पाठ्यक्रम निदेशक का मूलयांकन**		
	1.सामान्य निष्पादन	70	
	2.प्रेक्टीकल फील्ड प्रशिक्षण क.प्रोजेक्ट ख. प्रशिक्षण डायरी का रख-रखाव ग. फील्ड प्रशिक्षण की समीक्षा	 100 80 100	
	कुल	350	

भारतीय रेल भंडार सेवा परिवीक्षार्थी

क्र.सं.	परीक्षा	अधिकतम	उत्तीर्ण अंक	टिप्पणी
1.	फेज । परीक्षाः 1.खरीद 2.डिपो 3.आयात 4.लेखा कुल अधिमान	 100 100 100 100 200	प्रत्येक विषय में 60 □□□□□□□	प्रत्येक 100 अंकों के 4 पेपर हैं जिन्हें कुल 200 अंकों में परिवर्तित किया जाता है।
2.	फेज-।। परीक्षाः 1.छोटे प्रोजेक्ट 2.बड़े प्रोजेक्ट कुल	 100 100 200	प्रत्येक प्रोजेक्ट में 60 □□□□□□□	
3.	तैनाती परीक्षाः 1.खरीद 2.डिपो 3.मौखिक परीक्षा	 100 100 100 200	तीनों में प्रत्येक में 60 □□□□□□□	कुल अधिकतम अंक अर्थात् 300 हैं जिन्हें 200 में परिवर्तित किया जाता है।

	कुल अधिमान			
4.	पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा प्रशिक्षण मूल्यांकन 1.सामान्य निष्पादन 2.प्रेक्टीकल फील्ड प्रशिक्षण ।.फील्ड प्रशिक्षण समीक्षा ।।.डायरी समीक्षा कुल	 70 140 140 350	---	

16. महानिदेशक का पदकः

महानिदेशक का पदक निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठों को प्रदान किए जाएंगे बशर्ते कि उन्होंने समूह 'क' आधारिक पाठ्यक्रम, समूह 'क' इंडक्शन पाठ्यक्रम, समूह 'ख' आधारिक पाठ्यक्रम, राजभाषा अधिकारियों के लिए समूह 'ख' आधारिक पाठ्यक्रम, समूह 'ख' इंडक्शन पाठ्यक्रम, प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम, उन्नत प्रबंधन पाठ्यक्रम और चिकित्सा इंडक्शन पाठ्यक्रम की परीक्षाएं विशिष्टता के साथ अर्थात् कुल में से कम से कम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों ।

17. लिखित परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं की अभिरक्षा और निपटाराः

17.1 परिवीक्षार्थियों की लिखित परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएं बाहरी परीक्षक के मामले में मूल्यांकन करने वाले संकाय/ प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा परिणाम की घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी जब तक कि मूल्यांकन के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन नहीं है , तब उस प्रकरण में उत्तर-पुस्तिका संबंधित संकाय द्वारा जिसमें अभ्यावेदन का निर्णय / निपटारा हो जाता है उस तारीख से एक वर्ष तक और सुरक्षित रखी जाएगी । परिवीक्षार्थियों की लिखित परीक्षाओं के परिणाम जिसमें बैच में उनकी आपसी वरिष्ठता को गिना जाता है को, 1 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी की वेबसाइट पर भी रखा जाए । अन्य प्रशिक्षु अधिकारी के लिए उत्तर-पुस्तिकाएं 3 माह की अवधि के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी।

17.2 उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद संबंधित संकाय को पुरानी उत्तर-पुस्तिकाओं को नष्ट करने से पहले निम्नलिखित से लिखित क्लीयरेन्स प्राप्त करना होगा -

1. परीक्षा प्रभारी
2. भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय रेल कार्मिक सेवा और भारतीय रेल भंडार सेवा के प्रकरण में केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण के संकाय प्रभारी
3. सहायक प्रोफेसर(कार्मिक प्रबंधन)

18. यदि कोई अनपेक्षित स्थिति उत्पन्न हो जाती है,जो परीक्षा नीति में शामिल नहीं है, ऐसे मामले को महानिदेशक/रे.स्टा.कालेज के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो परीक्षा नीति में, यदि कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो, के निदेश के साथ व्यक्तिक प्रकरण/प्रकरणों में वह अपना निर्णय देंगे।